न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

कंवरलाल उर्फ हरिकिशन पुत्र श्री करणाराम, जाति सुथार, निवासी चिकनी नाडी उर्फ चन्द्रनगर, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. तुलसी देवी जांगिड़ पुत्री करणाराम पत्नी महेश्चन्द्र जांगिड़, जाति सुथार निवासी 14/1087 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर।
02. रूकमणी पुत्री करणाराम पत्नी चम्पालाल, जाति सुथार, निवासी सांगीयाजी का मंदिर एको का बास, फलोदी जिला फलोदी, पिन–342301
03. सुगनों पुत्री करणाराम पत्नी रेंवतराम, जाति सुथार निवासी–सरदारसिंह की ढाणी, भणियाणा जैसलमेर, पिन–345024।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2024 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 48/2024 तुलसी देवी जांगीड़ बनाम कंवरलाल उर्फ हरिकिषन इत्यादि

उपस्थित–

श्री रामप्रकाष प्रजापत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 48/2024 अनवान तुलसी देवी जांगीड़ बनाम कंवरलाल उर्फ हरिकिषन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 23 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम चिकनी नाडी उर्फ चन्द्र नगर तहसील लोहावट के खेत खसरा नम्बर 653 रकबा 16.0417 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 686 रकबा 8.3851 हैक्टेयर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 मई 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही केवल पोस्टल रसीद एवं डिलीवरी रिपोर्ट के आधार पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट को भेजे गये सम्मन की प्रति में मामले में सुनवाई की तारीख 04 मई 2023 अंकित है, जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली मे इस तिथि की कोई आदेषिका अंकित ही नहीं है। अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड सहखातेदार है। कानूनन अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। मौके पर वादीनीगण का कोई कब्जा काष्त नहीं है। वादीनीगण शादी के बाद अपने ससुराल में निवास करती है। वादीगण की ओर से अपने वाद को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्री–ज्युडिस होकर उक्त पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 06.08.2024 को मुकर्रर होने के बावजूद बिना किसी आधार के दिनांक 06.05.2024 को पेशी में लेकर वादी अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए वास्ते प्रतिवादी इन्तजार हेतु दिनांक 13.05.2024 को रखकर आगामी तारीख पेशी दिनाक 27.05.2024 को आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। वादीगण की माता श्रीमती हीरा देवी ने सहायक जिलाधीश, फलोदी के समक्ष वाद संख्या 118/2009 बअनवान हीरां देवी बनाम हरिकिशन प्रस्तुत किया, जिसका निस्तारण दिनांक 27.01.2012 को हुआ। सहायक जिलाधीश, फलोदी के निर्णय

डिक्री दिनांक 27.01.2012 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 157/2018 हरिकिशन बनाम हीरा देवी के बअनवान से विचाराधीन है, जिसमें रेस्पोडेन्टस् पक्षकार बने हुए है। रेस्पोडेन्ट ने जानबूझकर उक्त तथ्य छुपाया है। इस प्रकार वादीनीगण ने स्वच्छ हाथों से न्यायालय में वाद प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

म्याद प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर विधिवत् नोटिस तामिल करवा कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उन्हें एकतरफा निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.05.2024 की पालना में श्रीमान् तहसीलदार, लोहावट द्वारा नोटिस पत्र कमांक भूअ /2024/3909 दिनांक 04.09.2024 को जारी कर तारीख पेशी दिनांक 20.09.2024 को मुकर्रर करते हुए अपीलान्ट को मौका जांच के समय उपस्थित रहने के सूचना दिये जाने पर अपीलान्ट ने विद्वान विचारण न्यायालय में जाकर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने बाबत् दिनांक 23.09.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकलें दिनांक 23.09.2024 को प्राप्त होने पर जानकारी हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2024 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादीनीगण के पिता करणाराम को अपने ससुर बगताराम से जरिये बख्शीष प्राप्त हुई। वादीनीगण एवं अपीलांट के पिता को वादग्रस्त आराजी राजस्व मूल वाद संख्या 115/2007 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2013 जो बख्शीषनामा के आधार पर पारित की गई है, के जरिये प्राप्त हुई। वादीनीगण के पिता के देहांत पर वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन को विरासतन प्राप्त हुई है, जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट

संख्या एक से तीन प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट कभी स्वयं को अपने प्राकृतिक पिता करणाराम का पुत्र बताता है तथा कभी अपने नाना बगताराम का गोद जाना बताता है। अपीलांट द्वारा मामले के गुणावगुण पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं उठाया है। धारा 227 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के अनुसार मामला गुणावगुण पर मजबूत हो तो तकनीकी बिंदुओं के आधार पर उसे रिमाण्ड नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपने हक–हिस्से में परिवर्तन बाबत कोई उज्र उठाया गया है।ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 2014/006 अनवान हरिकृष्ण बनाम करणाराम में पारित निर्णय दिनांक 30 दिसंबर 2014 की प्रति के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में अपीलांट के पिता द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित बख्शीषनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2013 के जरिये स्वीकार किया जाकर अपीलांट के पिता करणाराम को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को अदालत हाजा के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अदालत हाजा द्वारा अपीलांट की अपील को दिनांक 30 दिसंबर 2014 को खारिज कर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को पुष्ट किया जाना प्रकट होता है। तत्पष्चात स्व. करणाराम की फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान् अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से

तीन को विरासतन प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजीयात की अद्यतन जमाबंदी के मुताबिक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक/अपीलांट के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार राजस्थान काष्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु तहसीलदार फलोदी को निर्देष दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से उनके हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि वादीनीगण द्वारा अदालत हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 157/2018 हरिकिषन बनाम हीरा देवी के तथ्य को छुपाया गया है। अपीलांट के उक्त उज्र के संबंध में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त अपील वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित न होकर खसरा नंबर 3219 की भूमि से संबंधित है तथा अदालत हाजा द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2024 को निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

धारा 227 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के मुताबिक **No decree or order to be reversed or modified for error or irregularity** — No decree or order shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal, on appeal, on account of any mis-joinder of parties or causes of action or any error or irregularity in any proceedings, not affecting the merits of the case. धारा 227 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के परिप्रेक्ष्य में मामला गुणावगण पर मजबूत होने पर उसे तकनीकी आधार पर उपांतरित अथवा उल्टा नहीं जा सकता है। हस्तगत मामले में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में गुणावगुण पर किसी प्रकार

की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 48/2024 अनवान तुलसी देवी जांगीड़ बनाम कंवरलाल उर्फ हरिकिषन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर